प्रेस नोट

दिनांक 28.10.2026

थाना कोपागंज जनपद मऊ।

विस्फोटक अधिनियम में 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 19 गत्ता एवं 7 प्लास्टिक की बोरियो में भिन्न भिन्न कम्पनियो के पटाखे (कुल वजन 516.350 कि0ग्रा0) बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ, श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी व थाना नेतृत्व में, 27 दिनांक 28.10.2026 को अभियुक्त के घर इन्दारा चट्टी के पास से मु0अ0सं0 296/26 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम 1884 व 288 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त नंदन गुप्ता पुत्र मुन्ना निवासी इन्दारा चट्टी थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से 19 गत्ता एवं 7 प्लास्टिक की बोरियो में भिन्न भिन्न कम्पनियो के पटाखे कुल वजन 516.350 कि0ग्रा0 की बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अभियुक्त नंदन गुप्ता पुत्र मुन्ना निवासी इन्दार चट्टी थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोंग-

1. से मु0अ0सं0 296/26 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम 1884 व 288 बीएनएस

गिरफ्तारी का स्थान-

अभियुक्त के घर इन्दारा चट्टी के पास थाना कोपागंज जनपद मऊ से दिनांक 27.10.2026 को समय करीब 23.45 बजे

बरामदगी का विवरण-

1. 19 गत्ता एवं 7 प्लास्टिक की बोरियो में भिन्न भिन्न कम्पनियो के पटाखे कुल वजन 516.350 कि0ग्रा0

साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 29999.98/- रुपये (उन्तीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपया अट्ठानवे पैसा) पीडित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में **दिनांक- 28.10.2026** को पीड़ित के खाते से यूपीआई के माध्यम से अवैध लिंक भेज कर फ्राड की गयी कुल धनराशि- 29999.98/- रुपये (उन्तीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपया अट्ठानवे पैसा) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

थानावार विवरण-

1.थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदक अनिवेश मल्ल पुत्र कृष्णचन्द मल्ल निवासी उसरी थाना मधुबन जनपद मऊ कुल धनराशि – 29999.98/- रुपये वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

थाना मधुबन जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग- 18,000/- वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.10.2026 को गुम/ खोये हुए 01 अदद मोबाइल फोन आवेदक हरेन्द्र कुमार पुत्र शेखराज निवासी ताजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ का इंफिनिक्स कम्पनी का फोन कीमत- 18,000/- (तीस हजार रूपया) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से उसके मालिक को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दिनांक- 28.10.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण-

1 .थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त पियुष सिंह पुत्र रामनाथ सिंह निवासी ग्राम परदहा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 03 अभियुक्तों को 7- 7 वर्ष का कारावास की सजा व एक अभियुक्त को 15 हजार रुपये व शेष दो अभियुक्त को 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-28.10.2026 को चिन्हित मु0अ0सं0 2781/2009 धारा- 307 भादवि0, मु0अ0सं0- 3934/2009 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायलखंसी जनपद मऊ से सम्बन्धित दोषी अभियुक्तगण 1.रामविलास यादव 2.विश्राम यादव पुत्रगण जगन्नाथ 3. जयराम पुत्र रामदेव निवासी ग्राम चकमेहंदी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को मा0 न्यायालय एएसजे-1 कोर्ट, मऊ द्वारा प्रत्येक को 7-7 वर्ष का कारावास की सजा व अभियुक्त रामविलास उपरोक्त को 15,000/- रुपये व शेष को 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानो द्वारा महिलाओं बलिकाओं एवं छात्राओं को किया जा रहा जागरुक, पंपलेट वितरित कर दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी -

नारी शक्ति का करें सम्मान, तभी बनेगा देश महान।"""

मिशन शक्ति 6.0 के चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण की ओर सशक्त पहल

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा, के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों स्कूलों कालेजों एव गांवो में जाकर आमजन, विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही पम्पलेट वितरित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों, महिला उत्पीड़न एवं लैंगिक अपराधों से बचाव, साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही, बालिकाओं को गुड टच-बैड टच की जानकारी, बाल अधिकारों तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया।

पुलिस टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों तथा पुलिस सहायता सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, छेड़छाड़ अथवा असुरक्षा की स्थिति में बिना किसी भय के पुलिस से संपर्क करने एवं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन पुलिस सहायता 112, महिला हेल्पलाइन 181 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संबंध में भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध सहायता, परामर्श एवं मार्गदर्शन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।

जनपद मऊ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने, महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करने तथा सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।